विद्युत लोकपाल
मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग
पंचम तल, ''मेट्रो प्लाज़ा'', बिट्टन मार्केट, अरेरा कालोनी, भोपाल

प्रकरण क्रमांक L00-12/2023

मे0 रानेका इण्डस्ट्रिज लिमिटेड, — आवेदक
प्लाट नं0 9, 15, 16 एवं 17 सेक्टर 3,
पीथमपुर, जिला – धार (म0प्र0)

विरूद्ध

मुख्य अभियंता (इक्षे),
मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड,
इन्दौर (म0प्र0) – 452005

— अनावेदक

अधीक्षण अभियंता (संचा./संधा.),
मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड,
इन्दौर (म0प्र0) – 452005

आदेश

(दिनांक 06.11.2023 को पारित)

01. आवेदक – मे0 रानेका इण्डस्ट्रिज लिमिटेड, प्लाट नं0 9, 15, 16 एवं 17 सेक्टर 3, पीथमपुर, जिला – धार (म0प्र0) ने अपने लिखित अभ्यावेदन दिनांक 03.10.2023 से विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, इन्दौर एवं उज्जैन क्षेत्र के प्रकरण क्रमांक 0552523 आदेश दिनांक 17.08.2023 से पीड़ित एवं दुखी होकर इस आदेश के विरूद्ध अपील अन्तर्गत धारा 42(6) विद्युत अधिनियम 2003 प्रस्तुत की है जो दिनांक 12.10.2023 को कार्यालय में प्राप्त होकर प्रकरण क्रमांक एल00–12/2023 पर दर्ज की गई है।

02. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य :–

शिकायत का विवरण निम्नानुसार है:–

(1) **उपभोक्ता का नामः– मेसर्स रानेका इण्डस्टिज लिमिटेड, पीथमपुर।**

(2) **उपभोक्ता का पुरा पताः–** प्लाट क्रमांक **प्लाट न 15, 16 एवं 17 सेक्टर 3 पीथमपुर जिला धार** पीथमपुर धार, (म.प्र), **पिन कोड** 454775, मोबाईल नम्बर :8889412433 (उपभोक्ता प्रतिनिधी को मोबाईल नम्बर 9425491388 एवं 9424065725.)

(3) **वितरण केन्द्र एवं अनुज्ञप्तिधारक का पुरा नामः पता. पिन कोड,**

अधिक्षण यंत्री सं/संधा वृत, म.प्र.प.क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि.

इन्दौर 452007

(4) **संयोजन का विवरण तथाः::** 33 के.व्ही. 2200 के.व्ही.ए. उच्चदाब विद्युत संयोग **उपभोक्ता का लेखा क्रमांकः::– एच.व्ही 3.4 बी,,**

एस.सी. नबंर : पीटीआर – सेक्टर 3 – 65 (बिल की फोटोप्रति संलग्न)

(5) उपभोक्ता द्वारा वितरण कंपनी को अभ्यावेदन प्रस्तुत करने की तिथि : उपभोक्ता की शिकायत पर विद्युत उपभोक्ता शिकायत निराकरण द्वारा फोरम प्रकरण डब्ल्यु 485121 मे जारी आदेश दिनांक 30/09/2021 से असंतुष्ट होकर विद्युत लोकपाल के समक्ष अपिल प्रस्तुत।

(5) अभ्यावेदन का विषय वस्तु मय उपभोक्ता के कथन के :–

उच्चदाब उपभोक्ता को जारी माहवारी बिल माह जनवरी 2023 के बिल मे टिप & "PF incentives recovery as per supply code 2021 from Sept. 2021 to Nov 2022 in installment 1/6" अंकित कर :–

(1) माह सप्टेबंर 21 से नव्हबंर 2022 (15 माह) की अवधि मे जारी बिलों मे दिये गये पावरफेक्टर इंसेटिव की वसुली प्रारंभ कर दी गई है। यह नियमानुसार नही है।

(2) इसी प्रकार वित्तिय वर्ष 22–23 की शेष अवधि 4 माह (दिसंबर 2022 से मार्च 2023) के बिलो मे पावर फेक्टर इंसेटिव वित्तिय वर्ष 22–23 के प्रावधान अनुसार (कंडिका 1.8) दिया जाना था न दिया जाकर वित्तिय वर्ष 23–24 के टेरिफ प्रावधान (कंडिका 1.9) के प्रावधान अनुसार पावर फेक्टर इंसेटिव दिया गया है। यह नियमानुसार सही नही है।

विवेचना निम्नानुसार हैः:–

Supply Code 2013 Clause 6.21

हिन्दी अवतरण : उपभोक्ता को न्यूनतम औसत पावर फेक्टर जैसा कि विद्युत नियामक आयोग द्वारा अपने **खुदरा विद्युत प्रदाय टेरिफ आदेश मे निर्दिष्ट किया जाए, संधारित करना होगा।** निर्दिष्ट पावर फेक्टर के विचलन के कारण उपभोक्ता को अर्थदण्ड का भुगतान करना होगा अथवा उसे प्रोत्साहन प्राप्त करने की पात्रता होगी जैसा कि आयोग द्वारा इसे समय समय पर निर्दिष्ट किया जावे।

अंग्रेजी अवतरण : The consumer shall maintain a minimum average power factor **as specified by the commission in its retail supply tariff order**. The consumer shall be liable to pay penalty or receive incentive as the case may be as specified by the commission from time to time on account of variation from specified power factor.

Supply Code 2021] Clause 6.21

हिन्दी अवतरण : उपभोक्ता को न्युनतम औसत पावर फेक्टर जैसा कि **विद्युत नियामक आयोग द्वारा अपने खुदरा विद्युत प्रदाय टेरिफ आदेश मे निर्दिष्ट किया जाए,** संधारित करना होगा। निर्दिष्ट पावर फेक्टर के विचलन के कारण उपभोक्ता को अर्थदण्ड का भुगतान करना होगा अथवा उसे प्रोत्साहन प्राप्त करने की पात्रता होगी जैसा कि आयोग द्वारा इसे समय समय पर निर्दिष्ट किया जावे।

अंग्रेजी अवतरण: The consumer shall maintain a minimum average power factor **as specified by the commission in its retail supply tariff order.** The consumer shall be liable to pay penalty or receive incentive as the case may be as specified by the commission from time to time on account of variation from specified power factor]

उपरोक्त प्रावधान मे स्पष्ट है कि वित्तिय वर्ष के बिलो मे उपभोक्ता को पावर फेक्टर इंसेटिव उसी वित्तिय वर्ष के टेरिफ मे दिये गये प्रावधान अनुसार ही दिया जाना है।

1 नियमानुसार टेरिफ वित्तिय वर्ष 21–22 (1/04/2021 से 31/03/2022 तक प्रभावशिल)

2 नियमानुसार टेरिफ वित्तिय वर्ष 22–23 (1/04/2022 से 31/03/2023 तक प्रभावशिल)

टेरिफ वित्तिय वर्ष 2021–22 के प्रावधान (धारा 1.8) अनुसार पावर फेक्टर इंसेंटिव दिया गया है/दिया जाना है।

Power Factor	**Percentage incentive payable on billed energy charges on the basis of energy actually consumer**
Above 95% and up to 96 percent	**1.0 (One percent)**
Above 96% and up to 97percent	**2.0 (Two percent)**
Above 97% and up to 98 percent	**3.0 (Three percent)**
Above 98% and up to 99 percent	**5.0 (Five percent)**
Above 99 %	**7.0 (Seven percent)**

टेरिफ वित्तिय वर्ष 2022–23 के प्रावधान (धारा 1.8) अनुसार पावर फेक्टर इंसेंटिव दिया गया है/दिया जाना है।

Power Factor	Percentage incentive payable on billed energy charges on the basis of energy actually consumer
Above 95% and up to 96 percent	**1.0 (One percent)**
Above 96% and up to 97percent	**2.0 (Two percent)**
Above 97% and up to 98 percent	**3.0 (Three percent)**
Above 98% and up to 99 percent	**5.0 (Five percent)**
Above 99 %	**7.0 (Seven percent)**

वित्तिय वर्ष 22–23 मे पावर फेक्टर इंसेटिव टेरिफ प्रावधान अनुसार अप्रेल 2022 से नव्हबंर 2022 तक दिया गया था। इस वित्तिय वर्ष की शेष अवधि (4 माह) दिसंबंर 2022 से मार्च 2023 तक पावर फेक्टर इंसेटिव वित्तिय वर्ष (2022–23) के प्रावधान अनुसार न दिया जाकर वित्तिय वर्ष 23–24 के टेरिफ प्रावधान अनुसार दिया गया है। यह नियम विरुद्व है।

टेरिफ वित्तिय वर्ष 2023–24 के प्रावधान (धारा 1.9) अनुसार वित्तिय वर्ष 2023– 24 मे जारी होने वाले बिलो मे पावर फेक्टर इंसेंटिव दिया दिया जाना है।

Power Factor	Percentage incentive payable on billed energy charges on the basis of energy actually consumer
96 %	**1.0 (One percent)**
97%	**2.0 (Two percent)**
98%	**3.0 (Three percent)**
99%	**5.0 (Five percent)**
100 %	**7.0 (Seven percent)**

नोटः उपरोक्त टेरिफ प्रावधान के अनुसार वर्ष 23–24 मे पावर फेक्टर इंसेटिव दिया जाना है। माह 1/04/2023 से 31/03/2024।

उपरोक्त टेरिफ आदेश 23–24 दिनांक 28/03/2023 को जारी हुआ है। अतः प्रावधानों के अनुसार वर्ष 21–22 एवं 22–23 की अवधि मे टेरिफ वर्ष 23–24 के प्रावधान अनुसार पावर फेक्टर की गणना कर रिकवरी करना नियमानुसार सही नही है।

वर्ष 2021–22 एवं 2022–23 मे माह सप्टेबंर 2021 से नव्हबंर 2022 तक के बिलो मे दिया गया पावर फेक्टर इंसेटिव को अब 15 माह बाद वित्तिय वर्ष 2023–24 के टेरिफ प्रावधान मे पावर फेक्टर इंसेटिव हेतु दिये गये स्लेब धारा 1.9 के अनुसार गणना कर बिलिंग कर/ रिकवरी करना नियम विरुद्ध है। उपरोक्त रिकवरी वैधानिक रुप से एवं प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के विरुद्ध है।

सप्लाई कोड 2013 एवं 2021 की धारा 6.21 के शब्दो पर ध्यानआर्कषण है कि The consumer shall **maintain** as minimum average Power factor .... टेरिफ प्रावधान के अनुसार दिये जाने वाले पावर फेक्टर इंसेटिव के स्लेब की जानकारी उपभोक्ता को वित्तिय वर्ष के प्रारंभ मे टेरिफ जारी कर ही कराई जाती है। तदनुसार उपभोक्ता अपना पावर फेक्टर मेनटेन करता है।स्लेब के अनुसार ही अधिकतम पावर फेक्टर इंसेटिव प्राप्त करने हेतु उपभोक्ता अपने स्तर से अथक प्रयास करता है कि उसे अधिकतम इंसेटिव प्राप्त हो सके। वित्तिय वर्ष 2023–24 का टेरिफ ही 28 मार्च 2023 को जारी हुआ है। उपभोक्ता ने पुर्व वर्ष 2021–22 एवं 2022–23 के प्रावधान अनुसार पावर फेक्टर मेनटेन कर वॉछित इंसेटिव पाया है।

उपभोक्ता को वर्ष 21–22 एवं 22–23 मे दिये पावर फेक्टर इंसेटिव को अब 23–24 के टेरिफ प्रावधान स्लेब पर गणना कर दिये गये पावर फेक्टर इंसेटिव की रिकवरी करना प्राकृतिक न्याय सिद्धांत का स्पष्ट उलंधन है।

अतः अनुरोध है कि

(1) सप्टेबंर 2021 से नव्हबंर 2022 तक की गई पावरफेक्टर इंसेटिव की रिकवरी को निरस्त कर आगामी बिलो मे समायोजित करवाने का कष्ट करे।

(2) उसी प्रकार दिसबंर 2022 से मार्च 2023 तक पावर फेक्टर इंसेटिव टेरिफ वर्ष 2023–24 से दिया गया है उसे भी निरस्त कर नियमानुसार उसी वित्तिय वर्ष 2022–23 के प्रावधान अनुसार दिलवाने का कष्ट करे।

03. प्रकरण को क्रमांक एल.00–12/2023 पर दर्ज करने के बाद उभयपक्षों को लिखित नोटिस जारी करते हुए प्रथम सुनवाई दिनांक 26.10.2023 को नियत की गई ।

❖ प्रथम सुनवाई दिनांक 26.10.2023 को आवेदक की ओर से उनके सलाहकार श्री जे. जी. ठोम्बरे, रिटायर्ड ई0डी0 एम.पी.ई.बी तथा श्री एम0डी0 गोयल, रिटायर्ड एडीशनल

ई0ई0, एम.पी.ई.बी उपस्थित तथा अनावेदक कम्पनी की ओर से श्री अलिन्द देशपाण्डे, एक्ज्क्यूटिव इंजीनियर (ओ), म.प्र.प.क्षे.वि.वि.क.लि., इन्दौर उपस्थित ।

अनावेदक कम्पनी की ओर से उपस्थित श्री अलिन्द देशपाण्डे द्वारा प्रकरण के संबंध में अपना प्रत्युत्तर क्रमांक 7830 दिनांक 26.10.2023 प्रस्तुत किया, जिसे रिकार्ड में लिया गया। साथ ही प्रत्युत्तर की एक प्रति आवेदक सलाहकार को दी गई ।

प्रत्युत्तर निम्नानुसार है :–

1. The answering respondents crave leave to say and submit that the present case is mainly on ground of revised definition of Power Factor defined by **Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission, Bhopal** (respondent no. 1) in the ***Madhya Pradesh Electricity Supply Code 2021, gazette notification dated 20th Aug. 2021*** The definition of power factor mentioned under clause no. (oo) of Chapter 2: definitions is reproduced as under:-

> ***(oo) 'Power Factor' means the average monthly power factor and shall be the ratio expressed as a percentage of the total kilowatt hours to the total kilovolt ampere hours supplied during the month; the ratio being rounded off to the nearest integer figure and the fraction of 0.5 or above will be rounded off to the next higher integer and the fraction of less than 0.5 shall be ignored;***

2. Before the application of Madhya Pradesh Electricity Supply Code 2021, gazette notification dated 20th Aug 2021, **Madhya Pradesh Electricity Supply Code 2013, gazette notification dated 30th Aug 2013** was active. In Madhya Pradesh Electricity Supply code 2013, the rounding off under the definition of power factor is at decimal figures. The definition of power factor mentioned under clause no. (oo) of Chapter 2: definitions is reproduced as under:-

> ***(oo) 'Power Factor' means the average monthly power factor and shall be the ratio expressed as a percentage of the total kilowatt hours to the total kilovolt ampere hours supplied during the month; the ratio being rounded off to two decimal figures, 5 or above in the third place of decimal being rounded off to the next higher place in the second. In case kWh or kVAh reading is not***

available then power factor shall be calculated on the basis of kVARh reading, if the meter has KVARh recording feature.

3. Further, the Power Factor incentive to be allowed to petitioner no. 2 to 5 as perthe Tariff Order FY 2021-22 applicable from 08th July 2021 and Tariff Order FY 2022-23 applicable from 08th April 2022 issued by Respondent no 1. Under the **General Terms and Conditions of High Tension Tariff** of both the tariff orders, the criteria for allowing power factor incentive is mentioned. The relevant portion is reproduced herein below:-

1.8 Power Factor Incentive:

Power factor incentive shall be payable as follows:

Power Factor	***Percentage incentive payable on billed energy charges on the basis of energy actually consumed***
Above 95% and up to 96%	***1.0 (one percent)***
Above 96% and up to 97%	***2.0 (two percent)***
Above 97% and up to 98%	***3.0 (three percent)***
Above 98% and up to 99%	***5.0 (five percent)***
Above 99%	***7.0 (seven percent)***

4. It is submitted that, in the previous definition of power factor, the rounding off to be done at decimal figure but in the latest definition of power factor, the rounding off took place at integer figure and the power factor incentive shall be allowed accordingly.

For example: As per the definition of power factor given **Madhya Pradesh Electricity Supply Code 2013,** when power factor recorded in consumer's energy bill is 99.498, the power factor incentive shall be allowed as 7% because of rounding off to be done at decimal figure. But, as per the definition of power factor given **Madhya Pradesh Electricity Supply Code 2021,** when power factor recorded in consumer's energy bill is 99.498, i.e. 99% and the power factor incentive shall be allowed as 5% because of rounding off to be done at integer figure. Power factor incentive of 7% will be allowed when consumer's power factor recorded as 99.50 or more.

5. Since the **Madhya Pradesh Electricity Supply Code 2021**, applicable from dated 20th Aug 2021. Therefore, after this date, the definition mentioned under

this code will be used and the credit of power factor incentive will be allowed as per rate mentioned under prevailing tariff orders.

6. That, the credit of power factor incentive were wrongly allowed to the consumer from 21th Aug 2021 to 24th Nov 2022. Immediately, after notice such mistake the company has raised the demand of excess credit allowed against power factor incentive in 6 instalments from Dec-2022 to May-2023 which is in accordance with the definition clause 2.1 (oo) mentioned under **Madhya Pradesh Electricity Supply Code 2021** which is under challenge in the present case.

7. Further, As per the Section 50 of **Electricity Act 2003**, the state commission is entrusted to frame rules regarding recovery of electricity charges, intervals for billing of electricity charges, disconnection of supply of electricity for non-payment thereof, restoration of supply of electricity; measures for preventing tampering, distress or damage to electrical plant, or electrical line or meter, entry of distribution licensee or any person acting on his behalf for disconnecting supply and removing the meter; entry for replacing, altering or maintaining electric lines or electrical plants or meter and such other matters. The relevant clause of the **Electricity Act 2003** is reproduced as under:

Section 50. (The Electricity Supply Code):

The State Commission shall specify an electricity supply code to provide for recovery of electricity charges, intervals for billing of electricity charges, disconnection of supply of electricity for non-payment thereof, restoration of supply of electricity; measures for preventing tampering, distress or damage to electrical plant, or electrical line or meter, entry of distribution licensee or any person acting on his behalf for disconnecting supply and removing the meter; entry for replacing, altering or maintaining electric lines or electrical plants or meter and such other matters.

8. The state commission i.e. Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission, Bhopal has issued **Madhya Pradesh Electricity Supply Code 2021 vide *gazette notification dated 20th Aug. 2021*** under which the consumer is liable to pay penalty or receive inventive as specified by commission from time to time on account of variation from specified power factor as per clause no. 6.21. The said clause is reproduced as under:

6.21 The consumer shall maintain a minimum average power factor as specified by the Commission in its retail supply tariff order. <u>The consumer shall be liable to pay penalty or receive incentive as the case may be as specified by the Commission from time to time, on account of variation from specified power factor.</u> The licensee may discontinue supply, (except Railway Traction and Coal Mines connections) after due notice of 15 days, to any installation where the average power factor is less than 70% without prejudice to the right of the licensee to levy demand/ minimum charges as applicable during the period of disconnection.

9. It is also submitted that the consumer has also filed the same case to the **Electricity Consumer Grievances Redressal Forum, Indore and Ujjain region, Indore** in which the Hon'ble Forum has given the judgement stating that the respondent has given extra credit of "Power Factor Incentive" therefore the recovery imposed by respondent is in accordance with the **Madhya Pradesh Electricity Supply Code 2021.** The order passed by Hon'ble Forum is enclosed here for ready reference.

10. Further, the interpretation made by consumer under para 5 is incorrect as the Tariff Order for FY 2023-24 is applicable from 06.04.2023 and the PF Incentive recovery pertaining to Sept-21 to Nov-22 was imposed by MPPKVVCL in the bill of month Dec-22 to May-23 as per definition given in **Madhya Pradesh Electricity Supply Code 2021** which was earlier to that period when the Tariff Order for FY 2023-24 was don't even existed. Therefore, the present case is not related with Tariff Order of different period, as interpreted by consumer, but the PF Incentive recovery raised by MPPKVVCL was due to change in the definition of Power Factor in **Madhya Pradesh Electricity Supply Code 2013 and Madhya Pradesh Electricity Supply Code 2021**.

11. It is also submitted that, the consumer is under statutory obligation to pay the difference amount towards escaped/deficit billing and the DISCOM is entitled to recover the amount against excess credited PF incentive as amount claimed by West Discom is in accordance with the prevailing laws/regulations as mentioned in previous paras.

12. In regard to the above, reliance is placed on the case of **Ajmer Vidyut Vitran Nigam Ltd. v. Rahamatullah Khan, (2020) 4 SCC 650**, wherein it has been, inter-alia, held as under-

"9. Applying the aforesaid ratio to the facts of the present case, the licensee company raised an additional demand on 18-3-2014 for the period July 2009 to September 2011.The licensee company discovered the mistake of billing under the wrong Tariff Code on 18-3-2014. The limitation period of two years under Section 56(2) had by then already expired.

9.1. Section 56(2) did not preclude the licensee company from raising an additional or supplementary demand after the expiry of the limitation period under Section 56(2) in the case of a mistake or bona fide error. It did not, however, empower the licensee company to take recourse to the coercive measure of disconnection of electricity supply, for recovery of the additional demand.

9.2. As per Section 17(1)(c) of the Limitation Act, 1963, in case of a mistake, the limitation period begins to run from the date when the mistake is discovered for the first time. In Mahabir Kishore v. State of M.P. [Mahabir Kishore v. State of M.P., (1989) 4 SCC 1] , this Court held that : (SCC p. 11, para 22)

> ***"22. Section 17(1)(c) of the Limitation Act, 1963, provides that in the case of a suit for relief on the ground of mistake, the period of limitation does not begin to run until the plaintiff had discovered the mistake or could with reasonable diligence, have discovered it. In a case where payment has been made under a mistake of law as contrasted with a mistake of fact, generally the mistake becomes known to the party only when a court makes a declaration as to the invalidity of the law. Though a party could, with reasonable diligence, discover a mistake of fact even before a court makes a pronouncement, it is seldom that a person can, even with reasonable diligence, discover a mistake of law before a judgment adjudging the validity of the law."***

9.3. In the present case, the period of limitation would commence from the date of discovery of the mistake i.e. 18-3-2014. The licensee company may take recourse to any remedy available in law for recovery of the additional demand, but is barred from taking recourse to disconnection of supply of electricity under sub-section (2) of Section 56 of the Act."

13. In addition to the above cited judgment, Hon'ble Supreme Court in Civil Appeal No. 7235 of 2009, **M/s Prem Cottex V/s Uttar Haryana Bijli Nigam Ltd and Others** held that:

> ***"If the demand is not raised, there is no occasion for a consumer to neglect to pay any charge for electricity. Sub section (2) of Section-56 has***

a non-obstante Clause with respect to what is contained in any other Law, regarding the right to recover including the right to disconnect. Therefore, if the licensee has not raised any bill, there can be no negligence on the part of the consumer to pay the bill and consequently the period of limitation prescribed under Sub-section (2) will not start running. So long as the limitation has not started running, the bar for recovery and disconnection will not come into effect. Hence, the decision in Rahamatullah Khan and Section-56(2) will not go to the rescue of the Appellant."

41. We are of the view that from the above judgements, it is quite clear that the limitation period starts running only when an issue is first brought to the notice of parties. In the subject matter, it happened on 27.12.2018 when the amount became first due. Therefore, demand raised on 27.12.2018 and demand of consequential delayed payment surcharge raised on 18.10.2021 and 08.11.2021 holds good and cannot be held barred as per the mandate of Section 56(2).

14. Further, it is a universal fact that the Acts prevails over Regulations and Regulation Prevails over Orders. Here the **Madhya Pradesh Electricity Supply Code** is a regulation which prevails over Tariff order.

15. It is, therefore, most humbly and respectfully prayed that this reply may kindly be taken on record and the case filed by the consumer may kindly be dismissed with costs in the interest of justice.

सुनवाई के दौरान उभयपक्षों द्वारा प्रकरण से संबंधित मौखिक तर्क किए गए । आवेदक सलाहकार द्वारा अनावेदक कम्पनी की ओर से प्रस्तुत प्रत्युत्तर का जवाब देने हेतु समय की मांग की गई ।

आवेदक सलाहकार की मांग को स्वीकार करते हुए उभयपक्षों की आपसी सहमति से उक्त प्रकरण पर अगली सुनवाई दिनांक 01.11.2023 नियत की गई ।

❖ आज सुनवाई दिनांक 01.11.2023 को आवेदक की ओर से उनके सलाहकार श्री एम0डी0 गोयल, रिटायर्ड एडीशनल ई0ई0, एम.पी.ई.बी उपस्थित तथा अनावेदक कम्पनी की ओर से श्री अलिन्द देशपाण्डे, एक्ज्क्यूटिव इंजीनियर (ओ) तथा सुश्री प्रीति शुक्ला, लेखा अधिकारी, म.प्र.प.क्षे.वि.वि.क.लि., इन्दौर उपस्थित ।

आज सुनवाई के दौरान आवेदक द्वारा निम्न कथन किए गए :–

1) अपीलार्थी ने कहा कि टैरिफ आदेश 2023–24 में पावर फेक्टर की गणना का प्रावधान दिनांक 06.04.2023 से प्रभावशील हैं, किन्तु अन्तर बिलिंग सितम्बर 2021 से की है जो कि नियम विरूद्ध है एवं पूर्ण राशि वापसी योग्य है ।

2) विद्युत अधिनियम में लाईसेंसी को यह अधिकार नहीं है कि वह टैरिफ से हटकर बिल जारी करें ।

3) अनावेदक ने हमें दिसम्बर 2022 से मार्च 2023 तक पावर फैक्टर इन्सेन्टिव्ह कम दिया है ।

4) यदि अनावेदक को सप्लाई कोड के अनुसार बिल करना था तो इन्सेन्टिव्ह की गणना सितम्बर 2021 से ही शुरू कर देना था, जो कि नहीं की गई ।

5) टैरिफ में किसी प्रकार का बदलाव विद्युत नियामक आयोग से अनुमोदन के उपरान्त ही किया जा सकता है, किन्तु ऐसा नहीं किया गया ।

6) निकाली गई अन्तर की राशि नियमों के विरूद्ध है ।

7) वसूली गई अन्तर की राशि नियम विरूद्ध होने से वापस करवाए जाने हेतु अनुरोध है ।

अनावेदक द्वारा किए गए कथन :–

(1) पावर फैक्टर की गणना की नई व्यवस्था सप्लाई कोड 2021 के प्रभावशील होने से ही लागू हो गई थी, किन्तु उपभोक्ताओं को त्रुटिवश अधिक इन्सेन्टिव्ह दिया जा रहा था, जो कि नियम विरूद्ध था ।

(2) गलती पकड़े जाने पर अधिक इन्सेन्टिव्ह की राशि (कम की गई बिलिंग) को सुधारकर माह दिसम्बर 2022 से सही इन्सेन्टिव्ह बिल करना शुरू कर दिया था ।

(3) इन्सेन्टिव्ह एवं पैनाल्टी टैरिफ का भाग नहीं है, अतः अपीलार्थी को किए गए बिल की टैरिफ में कोई परिवर्तन नहीं किया है ।

(4) टैरिफ में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया गया था । केवल इन्सेन्टिव्ह नियमानुसार लागू किया था, अतः माननीय विद्युत नियामक आयोग से अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं थी ।

(5) ली गई अन्तर की राशि/अधिक इन्सेन्टिव्ह की राशि/कम बिलिंग नियमानुसार यानि विद्युत प्रदाय संहिता के प्रावधान के अनुसार ही ली गई है ।

(6) विद्युत प्रदाय संहिता रेगुलेशन है, जो कि टैरिफ आदेश से हमेशा ऊपर रहेगा । अतः उसी के अनुसार अन्तर की राशि ली गई है, जो कि सही है ।

उभयपक्षों को पूर्ण संतुष्टि तक सुना एवं दस्तावेज/तथ्य/कथन प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया । उभयपक्षों द्वारा बताया गया कि इसके अतिरिक्त प्रकरण में आगे कोई और कथन नहीं किया जाना है न ही कोई अतिरिक्त दस्तावेज/जानकारी प्रस्तुत की जानी है, अतः प्रकरण में सुनवाई समाप्त करते हुए प्रकरण आदेश हेतु सुरक्षित किया गया ।

04. उभय पक्षों द्वारा प्रस्तुत कथनों/साक्ष्यों के आधार पर प्रकरण के निर्विवादित तथ्य निम्नानुसार है :–

(1) अपीलार्थी मे0 रानेका इंडस्ट्री का पीथमपुर जिला धार में 33 के.वी. पर 2200 केवीए उच्च दाब कनेक्शन है ।

(2) अपीलार्थी का यह कहना है कि विद्युत प्रदाय संहिता अगस्त 2021 से प्रभावशील होने के उपरांत, टैरिफ आर्डर 2023–2024 जो कि 06/04/2023 से लागू है । पावर फेक्टर इन्सेन्टिव्ह की पुनरीक्षित गणना दिनांक 06.04.2023 से की जानी चाहिए जबकि अनावेदक ने सितम्बर 2021 से लागू करते हुए अंतर राशि की वसूली दिसम्बर 2022 के बिल से शुरू कर दी है, जो कि नियम विरूद्ध है ।

(3) अपीलार्थी का कथन वर्ष 2021–22 एवं 2022–23 के टैरिफ आदेश में प्रावधानित गणना के विरूद्ध अंतर राशि वसूली जा रही है, जो कि नियम विरूद्ध है ।

(4) अपीलार्थी का कथन है कि उसे दिसम्बर 2022 से मार्च 2023 तक टैरिफ आदेश अनुसार पावर फेक्टर इन्सेन्टिव्ह नहीं देकर कम इन्सेटिव्ह दिया है ।

(5) यदि विद्युत प्रदाय संहिता के आधार पर इंसेन्टिव्ह देना था तो सितम्बर 2021 से ही लागू करना था ।

(6) अनावेदक का कथन है कि अधिक पावर फेक्टर इंसेन्टिव्ह की गलती संज्ञान में आने पर दिसम्बर 2022 से ही सुधारकर पूर्व में दिए गए अधिक इन्सेन्टिव्ह की वसूली प्रारंभ कर दी थी, जो कि नियमानुसार सही है ।

(7) अनावेदक ने कहा कि विद्युत प्रदाय संहिता 2021 में दी गई गणना प्रणाली से अधिक पावर फेक्टर इन्सेन्टिव्ह मानवीय भूल के कारण दिया था, जो कि संज्ञान में आने पर सुधारकर वसूली गई है।

(8) अनावेदक का कथन है कि पेनाल्टी एवं इन्सेन्टिव्ह टैरिफ के अंतर्गत नहीं आता है । टैरिफ के अंग ऊर्जा प्रभार, स्थाई प्रभार एवं एफ सी ए है ।

(10) अनावेदक के अनुसार बिल की गई राशि विद्युत प्रदाय संहिता के अनुसार सही है, जो कि विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 50 के अंतर्गत बनी है ।

(11) अनावेदक ने कहा कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी रहमत उल्लाह एवं प्रेम काटेक्स के प्रकरणों में छूटी हुए/कम बिलिंग को संज्ञान में आने पर वसूल करने का आदेश दिया है ।

05. उभयपक्षों द्वारा किये गये कथनो तथा प्रस्तुत दस्तावेजों/साक्ष्यों की स्थापित विधि एवं नियमों/विनियमों के प्रकाश में विवेचना से निम्न तथ्य प्राप्त होते हैं :–

1. अपीलार्थी ने अनावेदक से एक 2200 KVA, 33 KV पर उच्चदाव विद्युत कनेक्शन पीथमपुर में प्राप्त किया है ।

2. म.प्र. विद्युत प्रदाय संहिता 2013 दिनांक 30 अगस्त, 2013 को अधिसूचित, जो कि दिनांक 19 अगस्त 2021 तक प्रभावशील थी, में बिलिंग हेतु पावर फेक्टर की गणना हेतु निम्नानुसार व्याख्या दी गयी हैं :–

अध्याय–2 परिभाषायें

(ओओ) ''ऊर्जा–कारक (Power Factor)'' का तात्पर्य औसत मासिक ऊर्जा–कारक (Power Factor) से है तथा इसे माह के दौरान प्रदाय किये गये कुल किलोवाट घंटे तथा कुल किलोवोल्ट एम्पीयर घंटे के अनुपात में प्रतिशत के रूप में दर्शाया जाएगा; इस प्रतिशत को दशमलव के दो पूर्णांकों में व्यक्त किया जाएगा जिसके अनुसार दशमलव के तीसरे स्थान पर 5 या इससे अधिक की संख्या होने पर इसे दशमलव के दूसरे स्थान पर स्थित अंक से एक अंक अधिक कर पूर्णांक किया जाएगा। ऐसे प्रकरण में जहां किलोवाट घंटे या किलोवाट एम्पीयर घंटे का वाचन उपलब्ध न हो तो किलोवोल्ट एम्पीयर रिएक्टिव घंटे के वाचन के आधार पर ऊर्जा कारक की गणना की जाएगी, यदि मापयंत्र (मीटर) में किलोवोल्ट एम्पीयर रिएक्टिव घंटे अभिलेखित करने की सुविधा उपलब्ध हो;

3. म.प्र. विद्युत प्रदाय संहिता 2021 जो कि दिनांक 20 अगस्त 2021 को अधिसूचित की गयी थी, में उपभोक्ताओं को बिलिंग एवं अन्य उपयोग हेतु ऊर्जा कारक (power factor) की गणना हेतु निम्नानुसार व्याख्या की गयी हैः–

अध्याय–2 परिभाषायें

(तत) ''ऊर्जा–कारक (पावर फैक्टर)'' का तात्पर्य औसत मासिक ऊर्जा–कारक (पावर फैक्टर) से है तथा इसे माह के दौरान प्रदाय किये गये कुल किलोवाट घंटे तथा कुल किलोवोल्ट एम्पीयर घंटे के अनुपात में प्रतिशत के रूप में दर्शाया जाएगा; इस प्रतिशत को निकटतम एकीकृत अंक (integer figure) तक पूर्णांक किया जाएगा, अर्थात् 0.5 तथा इससे अधिक की भिन्न (fraction) को आगामी अंक तक पूर्णाक किया जाएगा जबकि 0.5 से कम की भिन्न को उपेक्षित (ignored) किया जाएगा ।

4. विद्युत प्रदाय संहिता विनियम होने से उसका टेरिफ आदेश पर अभिभावी प्रभाव रहेगा । (The supply code being Regulation will be having ovariding effct on Tariff order) अतः विद्युत प्रदाय संहिता के प्रावधान प्रभावशील होने की दिनांक से ही लागू होंगें ।

5. विद्युत प्रदाय संहिता 2021 दिनांक 20 अगस्त, 2021 से प्रभावशील है, अतः तत्समय लागू टेरिफ आर्डर 2021 के पेनाल्टी और इन्सेन्टिव्ह की गणना हेतु उसमें दी गयी व्याख्या लागू होगी ।

6. अनावेदक ने त्रुटिवश प्रावधान लागू नहीं किये थे, जिससे अपीलार्थी के साथ ही अन्य उपभोक्ताओं को कम राशि (नियम से अधिक इन्सेन्टिव्ह) के बिल जारी हुये जिसे बाद मे सुधार कर कम बिल की गयी राशि की वसूली की गयी । माननीय उच्चतम न्यायालय ने सिविल अपील क्रमांक 1672 आफ 2020, Assistent Engineer (D 1) Ajmer vidyut vitran Nigam V/S Rahamatullah Khan एवं सिविल अपील नंबर 7235 of 2009 M/S Prem cottex V/S Uttar Hariyana Bijli Vitran Nigam Ltd. में आदेश किया है कि त्रुटिवश कम की गई बिलिंग वसूल किये जाने योग्य है ।

7. नियमानुसार प्रतिमाह के विद्युंत बिल में, बिल की गयी राशि पर दर्ज किये गये पावर फेक्टर की गणना के आधार पर इन्सेन्टिव्ह दिया जाता है या अधिभार जोड़ा जाता है ।

8. पावर फेक्टर की गणना की कार्यप्रणाली (Methodology) विद्युत प्रदाय संहिता के अनुसार होती है, किन्तु दर टेरिफ आदेश के अनुसार होती है ।

06. प्रकरण में की गयी उपरोक्त विवेचना तथा प्राप्त तथ्यों एवं निष्कर्षो के आधार पर निम्नानुसार निर्णय पारित किया जाता है :–

(1) अपीलार्थी की अपील नियम विरूद्ध होने से निरस्त की जाती है ।

(2) अनावेदक द्वारा वसूल की जा रही अंतर की राशि नियमानुसार सही है ।

(3) अनावेदक को सलाह दी जाती है कि भविष्य में नए रेगुलेशन, नियम, टैरिफ आदि प्रभावशील होने पर कंपनी, कंपनी के अधिकारियों के साथ चर्चा कर सही एवं प्रभावी रूप से समय पर लागू करें, ताकि इस प्रकार की शिकायतें उत्पन्न नहीं हो ।

07. उक्त निर्णय के साथ प्रकरण निर्णित होकर समाप्त होता है । उभयपक्ष प्रकरण में हुआ अपना अपना व्यय स्वयं वहन करेंगे ।

08. आदेश की प्रति के साथ उभयपक्ष पृथक रूप से सूचित हों और आदेश की प्रति के साथ फोरम का मूल अभिलेख वापिस हो ।

विद्युत लोकपाल